

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 4 मार्च, 2014

विषय:- प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरण हेतु "किशोरी सुरक्षा योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

किशोरियों के स्वारथ्य और सम्मान के लिये सुरक्षित माहवारी एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई अति आवश्यक है। किशोरियों (10 से 19 वर्ष) की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग 11 प्रतिशत होती है। किशोरावस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह-तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। माहवारी के दौरान स्कूलों में किशोरियों की उपरिथिति में कमी तथा स्कूल छोड़ देने जैसी समस्यायें आती हैं। एन0एफ0एच0एस0-3 के सर्वे के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत किशोरियों कक्षा 7 के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान मेन्सट्रुअल हाईजीन के बारे में सही जानकारी देकर किया जा सकता है।

2. उत्तर प्रदेश के 03 जिलों (मिर्जापुर, सोनभद्र एवं जौनपुर) में यूनीसेफ के द्वारा वर्ष 2012 में किये गये सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि लगभग 85 प्रतिशत किशोरियों अभी भी माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। लगभग 96 प्रतिशत मातायें एवं 73 प्रतिशत प्रथम स्तरीय कार्यकर्ता भी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। लगभग 42 प्रतिशत किशोरियों माहवारी में इस्तेमाल करने से पूर्व कपड़े को धोती नहीं हैं। लगभग 30 प्रतिशत किशोरियों बार-बार कपड़ों को धोकर इस्तेमाल करती हैं तथा उनको कपड़े को सुखाने तथा इसके रख-रखाव का सही ज्ञान नहीं है। इस सर्वे में यह भी पाया गया है कि लगभग 11 प्रतिशत किशोरियों को ही मासिक धर्म के अन्तर्गत आन्तरिक परिवर्तन के विषय में जानकारी थी। लगभग 50 प्रतिशत किशोरियों मासिक धर्म को बीमारी के रूप में देखती हैं एवं प्रथम बार में इससे भयभीत हो जाती हैं। केवल 10 प्रतिशत किशोरियों यह जानती थीं कि कपड़े को धोकर धूप में सुखाना चाहिये। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी एक रिटर्न के रूप में देखी जाती है तथा माहवारी में स्वच्छता के बारे में जानकारी के अभाव, सैनेटरी नैपकीन्स की पहुँच से दूर होना, गरीबी एवं प्रचलित रुद्धिवादिता के कारण संकरण की सम्भावना बहुत अधिक रहती है।

3. माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों के दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा

अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

4. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 6 से 12 तक) को मासिक धर्म सच्चिता हेतु सैनेटरी नैपकिन्स के निःशुल्क वितरण हेतु “किशोरी सुरक्षा योजना” लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

(1) **किशोरी सुरक्षा योजना:-**

प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली किशोरियों (कक्षा 06 से 08 तक परिषदीय विद्यालय एवं कस्तूरबा गॅधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत किशोरियों सहित) को प्रदेश के संसाधनों से हाइजनिक मेन्स्ट्रूअल सैनेटरी नैपकिन्स का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

(2) **योजना का उद्देश्य-**

किशोरियों को निःशुल्क मेन्स्ट्रूअल नैपकिन्स उपलब्ध कराने की किशोरी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

- प्रदेश में किशोरियों में माहवारी सम्बन्धी प्रचलित भ्रान्तियों को दूर कर उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराना।
- किशोरियों में आत्म विश्वास बढ़ाना, जिससे उनकी सामाजिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
- सैनेटरी नैपकिन्स के उपयोग की आदत को बढ़ावा देना, जिससे वे उसके महत्व का अनुभव करें एवं भविष्य में खरीद कर भी इस्तेमाल करें।
- किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन्स की उपलब्धता कराकर स्कूलों में ड्राप-आउट की संख्या में गिरावट लाना।
- किशोरियों में प्रजनन सम्बन्धी बीमारियों एवं संक्रमण में कमी लाना तथा इससे होने वाले बॉझपन में कमी लाना।

(3) **सैनेटरी नैपकिन्स की क्या व्यवस्था-**

गुणवत्तायुक्त सैनेटरी नैपकिन्स के क्या हेतु सी०एम०एस०डी०, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा क्या संबंधी नियमों के अन्तर्गत दर अनुबंध की कार्यवाही की जायेगी। क्या किये जाने वाले कुल सैनेटरी नैपकिन्स की मात्रा के अधिकतम् 50 प्रतिशत तक आपूर्ति आदेश सी०एम०एस०डी० द्वारा किये दर अनुबंध की दर पर, निर्धारित मानकों की पूर्ति की शर्त के अधीन, यू०पी०डी०पी०एल० को और अधिकतम् 10 प्रतिशत की मात्रा तक के आपूर्ति आदेश पंचायत उद्योगों को दिये जा सकेंगे। यू०पी०डी०पी०एल० अथवा पंचायत उद्योगों द्वारा आपूर्ति न कर पाने की रिति में अवशेष आपूर्ति का आदेश भी दर अनुबंधित फर्मा को दे दिया जायेगा।

(4) **योजना का क्रियान्वयन-**

- (i) स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों की संख्या मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा।
- (ii) सैनेटरी नैपकिन्स की प्राप्ति, उनका वितरण एवं अभिलेखों का रखरखाव स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।

(iii) सेनेटरी नैपकिन्स की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण रक्खूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति माह जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित किया जायेगा।

(5) योजना का अनुश्रवण—

(i) योजना का नियमित एवं सघन अनुश्रवण जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा।


(ii) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति माह योजना की प्रगति आख्या महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(iii) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर पर प्रत्येक माह योजना के क्रियान्वयन/अनुश्रवण की समीक्षाकर प्रगति आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।

(6) योजना का व्यय भार—

इस योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय अनुदान संख्या—32 के लेखांशीषक “2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य” के सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

5—
कृपया वर्णित व्यवस्था के अधीन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


4/3/14

(प्रवीर कुमार)

प्रमुख सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

संख्या—५१००/पॉच—९—२०१४, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(2) मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।

(3) प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।

(4) प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(5) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

(6) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।

(7) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

(8) विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग—६, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रस्तर—४ के उप—प्रस्तर—६ पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

(10) समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

(11) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।


(12) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना हेतु आवश्यक बजटीय व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(13) सहायक निदेशक, सूचना, उ०प्र० शासन।

(14) कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।

(15) गार्ड—फाईल।


आङ्गा से,


४८७.

(यतीन्द्र मोहन)

संयुक्त सचिव।